

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, डीडवाना  
(पीठासीन अधिकारी: रिछपाल सिंह बुरड़क, आर.ए.एस.)

आवेदक:-

श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त:-

रामेश्वर लाल टॉक पुत्र पन्नालाल टॉक उम्र 70 जाति माली  
सिंधी का बास, डीडवाना तह. डीडवाना, जिला नागौर  
(विक्रेता एवं मालिक)

फर्म:- मैसर्स शंकर स्वीट एण्ड नमकीन गुदड़ी बाजार, डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर।

प्रकरण संख्या: 13/2020

“ अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006”

उपस्थिति:

प्रतिवादी रामेश्वर लाल टॉक पुत्र पन्नालाल टॉक उम्र 70 जाति माली

-:निर्णय :-

दिनांक 03 मार्च,2021

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री राजेश कुमार जांगिड़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 17.10.2019 को समय 02:40 पी.एम. पर फर्म मैसर्स शंकर स्वीट एण्ड नमकीन गुदड़ी बाजार, डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर में पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति रामेश्वर लाल टॉक पुत्र पन्नालाल टॉक उम्र 70 जाति माली, निवासी- सिंधी का बास, डीडवाना तह. डीडवाना, जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मावा बर्फी आदि पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का स्वयं को होना बताया। आवेदक खाद्य



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना (नागौर)

सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

- (2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर 5 किलो मावा बर्फी एक लोहे की ट्रे में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह मावा बर्फी का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जाँच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लोहे की ट्रे में रखे लगभग 5 किलो मावा बर्फी को अच्छी तरह से हिलामिलाकर, उस में से 2 किलो मावा बर्फी (मिठाई) तुलवाकर एक साफ-सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 460/- (अक्षरे चार सौ साठ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न०, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी के चारों नमूना पैकेटो पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q-1203 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रामेश्वर लाल टॉक एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
झीडवाना (नागौर)

तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर श्री माणकचन्द, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 18.10.2019 को देकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंगन है, शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 18.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही सलंगन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी की जांच रिपोर्ट संख्या LS/206/Act/2019/204 दिनांक 25.10.2019 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता रामेश्वर लाल टॉक से वास्ते जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का नमूना Q-1203 सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता रामेश्वर लाल टॉक को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुनः जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता रामेश्वर लाल टॉक ने पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया।

प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

- (3) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 24.02.2021 को प्रतिवादी रामेश्वर लाल टॉक ने उपस्थित होकर लिखित स्टेटमेंट/जवाब प्रस्तुत किया। प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब में यह अंकित किया गया है कि दिनांक 17.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर श्री राजेश कुमार जांगिड़ द्वारा जिस मावा बर्फी का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।



*[Handwritten Signature]*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना (नागौर)

- (4) प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 24.02.2021 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी को सुना गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान न्याय निर्णयन आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्मान योग्य अपराध होने से प्रतिवादी पर जुर्माना आरोपित किया जावे।
- (5) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 17.10.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समय 02:40 पी.एम. पर फर्म शंकर स्वीट एण्ड नमकीन गुदड़ी बाजार, डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर में पहुँचा। वहाँ पर विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति रामेश्वर लाल टाँक पुत्र पन्नालाल टाँक उम्र 70 जाति माली निवासी सिंधी का बास, डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर उपस्थित थे तथा आम जनता को विक्रय वास्ते मावा बर्फी आदि खाद्य पदार्थ रखे पाये। विक्रेता मालिक से पूछने पर उक्त संस्थान का स्वयं को होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर विक्रेता मालिक ने रजिस्ट्रेशन होना जाहिर किया जिसकी छाया प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
- (6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर विक्रेता मालिक की उपस्थिति से संस्थान का निरीक्षण किया जहाँ पर 5 किलो मावा बर्फी एक लोहे की ट्रे में आमजन को विक्रय वास्ते रखा हुआ था जिसके अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत रूबरू गवाह के सामने विक्रेता मालिक को प्रपत्र 5ए भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता मालिक को बता दिया था कि यह मावा बर्फी का नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जाँच हेतु ले रहे हैं। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता मालिक व गवाहान की उपस्थिति में उक्त लोहे की ट्रे में रखे लगभग 5 किलो मावा बर्फी को अच्छी तरह से हिलामिलाकर, उस में से 2 किलो मावा बर्फी तुलवाकर एक साफ-सुखी एवं खाली स्टील की भगोनी में खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मालिक को रू. 460/- (अक्षरे चार सौ साठ रू. मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व विक्रेता मालिक के हस्ताक्षर हैं। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।



*Handwritten signature*  
 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
 डीडवाना (नागौर)

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल न० दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ मावा बर्फी के चारों नमूना पैकेटों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप Q-1203 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रामेश्वर लाल टॉक एवं गवाहान को पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म न. 5ए खाद्य पदार्थ का विक्रय बिल एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म:-शंकर स्वीट एण्ड नमकीन गुदड़ी बाजार, डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर विक्रेता मालिक रामेश्वर लाल टॉक पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी सिंधी का बास, डीडवाना तह. डीडवाना जिला नागौर से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गयी है।

तत्पश्चात कार्यालय पहुँच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नं. 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को अलग-अलग बन्द कर गोद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। तत्पश्चात आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.10.2019 को एक नमूना जार मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्द एवं सील मोहर कर, श्री माणकचन्द, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को दिनांक 18.10.2019 को देकर रसीद प्राप्त की शेष सीलबन्द नमूना बोतलों मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपड़ी से सील बन्दकर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिनांक 18.10.2019 को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर से खाद्य पदार्थ मावा बर्फी की जांच रिपोर्ट संख्या LS/206/Act/2019/204 दिनांक 25.10.2019 प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता रामेश्वर लाल टॉक से वास्ते



*(Signature)*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना (नागौर)

जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ मावा बर्फी का नमूना Q-1203 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सबस्टेण्डर्ड पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य है। खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सबस्टेण्डर्ड है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) इस प्रकार है:-

**धारा 26:- खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:-**

- (2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:-  
(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक है या उसमें बाह्य पदार्थ मिले है-

**धारा 51:-अवमानक खाद्य के लिए शास्ति:-**

कोई व्यक्ति जो चाहे वह स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए विनिर्माण या मानव उपभोग के लिए भंडारण या विक्रय या वितरण या आयात करता है जो अवमानक है, शास्ति का, जो पांच लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

- (7) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक:चिकि/FSSA/ 2019/612-13 दिनांक 22.11.2019 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ मावा बर्फी Q-1203 सबस्टेण्डर्ड है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन है एवं उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। इस प्रकार, सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म शंकर स्वीट एण्ड नमकीन गुदड़ी बाजार, डीडवाना जिला नागौर दोषी व उत्तरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा-51 के तहत प्रतिवादी रामेश्वर लाल टाँक पुत्र पन्नालाल जाति माली निवासी सिंधी का बास, तह.




*[Signature]*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना (नागौर)

डीडवाना, जिला नागौर फर्म:-शंकर स्वीट एण्ड नमकीन गुदड़ी बाजार, डीडवाना जिला नागौर पर राशि रुपये 16000/- ( अक्षरे रुपये सौलह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

(9) आदेश दिनांक 03.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।



  
(रिछपाल सिंह बुरडक)  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति० जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना